बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं0सं0–9/आ0–05–09/2024(स्वा0) .... /पटना, दिनांकः–...

डॉ० हरिशंकर चौधरी, तत्कालीन उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल, सोनपुर, सारण सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध माननीय उप मुख्य (स्वास्थ्य) मंत्री महोदय के दिनांक–11.01.2024 को औचक निरीक्षण में संस्थान में चिकित्सकों का सामान्य रूप में कार्य आवंटित नहीं करने, रोस्टर के अनुसार अनुपस्थित चिकित्सकों के वेतन का भुगतान करने, आउटसोर्सिग एजेंसी का अवधि विस्तार करने, परिसर में साफ–सफाई का व्यवस्था नहीं रहने, भर्त्ती मरीज को पथ्य आहार नहीं देने एवं संस्थान में पर्याप्त संख्या बल में सुरक्षा प्रहरी उपस्थिति नहीं रहने के आरोप में विभागीय संकल्प सं०–959(9) दिनांक–03.10.2024 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43(ख) के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच–प्रतिवेदन (अधिगम) में आरोप को प्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया है। तत्पश्चात् विभागीय पत्रांक–774(9) दिनांक–11.07.2025 द्वारा डॉ० चौधरी से लिखित अभ्यावेदन की मॉग की गयी, जिसके आलोक में डॉ० चौधरी द्वारा लिखित अभ्यावेदन समर्पित किया गया।

3. डॉ० चौधरी द्वारा समर्पित लिखित अभ्यावेदन में अंकित किया गया कि औचक निरीक्षण में कर्त्तव्य पर अनुपस्थित चिकित्सा पदाधिकारी डॉ० अनुभा कुमारी से स्पष्टीकरण की मॉग की गयी। औचक निरीक्षण की तिथि–11.01.2024 को वे माननीय न्यायालय, छपरा में गवाही देने गए थे, संस्थागत चिकित्सकों को हरिहर क्षेत्र में अवस्थित औषधालय में प्रतिनियुक्त किया गया था। निरीक्षण के दौरान सरकारी दवा उपलब्ध पायी गयी, बेड पर चादर भी लगा हुआ था। दूर्गापूजा के अवसर पर वरीय पदाधिकारी के निदेशानुसार बायोमैट्रिक से उपस्थिति दर्ज नहीं करने वाले चिकित्सक का वेतन का भुगतान किया था। एजेंसी का अवधि विस्तार जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा किया जाता है।

4. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा डॉ० चौधरी द्वारा समर्पित लिखित अभ्यावेदन के समीक्षोपरान्त पाया गया कि डॉ० चौधरी द्वारा औचक निरीक्षण के तिथि को माननीय न्यायालय में गवाही दिया गया है। इसका पर्याप्त साक्ष्य है परन्तु संस्थागत चिकित्सक का तटस्थता से ड्यूटी नहीं बॉटने एवं अनुपस्थित चिकित्सक के विरूद्ध कार्रवाई कर नियंत्री पदाधिकारी को सूचित नहीं किया गया है। संस्थागत चिकित्सकों का उपस्थिति सुनिश्चित करने में डॉ० चौधरी विफल रहे है एवं भर्त्ती मरीज को उनके द्वारा पथ्य आहार देने में सजगता नहीं बरती गयी हैं। अतः डॉ० चौधरी के विरूद्ध पदीय दायित्व के निर्वहन करने में शिथिलता बरतने के प्रमाणित आरोप में बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43(ख) के अधीन सेवानिवृत्ति की तिथि से 05% (पॉच प्रतिशत) पेंशन की राशि 01 (एक) वर्ष तक कटौती करने का शास्ति अधिरोपित करने का विनिश्चय किया गया।

5. उक्त अधिरोपित दण्ड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक–377(9) दिनांक–07.04.2026 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से सहमति की मॉग की गयी है। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक–301 दिनांक–04.05.2026 द्वारा दण्ड प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी है।

6. अतएव डॉ० हरिशंकर चौधरी, तत्कालीन उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल, सोनपुर, सारण सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43(ख) के अधीन सेवानिवृत्ति की तिथि से 05% (पॉच प्रतिशत) पेंशन की राशि 01 (एक) वर्ष तक कटौती करने का शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

7. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(उपेन्द्र राम)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–9/आ०–05–09/2024(स्वा0) ..../ **पटना, दिनांकः–**.................................

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, (ले0 एवं हक0) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Email

ह०/–
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–9/आ0–05–09/2025(स्वा0) 455(9) / **पटना, दिनांकः–** 12.05.26

प्रतिलिपिः–माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग, के प्रधान आप्त सचिव/सभी पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं, बिहार पटना/उप सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/प्रभारी प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–2, 3, 7, 8, 17 एवं 18A स्थापना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, सारण प्रमण्डल, छपरा/सिविल सर्जन, सारण/कोषागार पदाधिकारी, सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– डॉ० हरिशकर चौधरी, तत्कालीन उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल, सोनपुर, सारण सम्प्रति सेवानिवृत्त पत्राचार पता–मोहल्ला–मातृ छाया अपार्टमेंट मउआर पथ, कुम्हार, पटना, पो०–गुलजारबाग, थाना–आलमगंज, जिला–पटना पिनकोड–800007 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

11/05/2026
सरकार के अवर सचिव।